सहायक निदेशक मत्स्य हरिद्वार–अनिल कुमार।

कार्यालय दूरभाष–1334–239008

इ–मेल–कींतिपकूंत/हउंपसण्बवउ

वर्ष 2017–18 में संचालित योजनायें

मत्स्य पालन व्यवसाय के दृष्टिगत जनपद हरिद्वार प्रदेश का एक प्रमुख जनपद है। मत्स्य पालन हेतु अनुकूल जलवायु, जनपद में निवासरत मछुवा समुदाय एवं ग्राम समाज के तालाबों के रूप में उपलब्ध जलक्षेत्र के कारण जनपद में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। ग्राम समाज के तालाबों को प्राथमिकता के आधार पर एवं नियमानुसार मछुवा समुदाय/सहकारी मत्स्य जीवी समितियों को पट्टे पर आवंटित कर मत्स्य पालन व्यवसाय से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं जनपद में विद्यमान हैं।

मत्स्य पालन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर एवं केन्द्रपोषित विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाएं जनपद में संचालित हैं।

जलाशयों का विकास योजना –

जनपद में विद्यमान प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जिला सेक्टर अन्तर्गत ''जलाशयों का विकास योजना'' संचालित है। योजनान्तर्गत प्राकृतिक जलस्रोतों में मत्स्य सम्पदा के संवर्धन हेतु चिन्हित स्थलों पर विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मत्स्य बीज संचय किया जाता है। जलस्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने एवं उनमें पोषित हो रही मत्स्य सम्पदा के संरक्षण के उद्देश्य से गोष्ठियों एवं विभिन्न प्रचार –प्रसार माध्यमों से जनजागरूकता का प्रसार भी किया जाता है।

मत्स्य बीज आपूर्ती–

प्रतिवर्ष माह अप्रैल से अक्टूबर तक विभाग द्वारा मत्स्य बीज वितरण कार्यक्रम संचालित किया जाता है। कार्यक्रम अन्तर्गत मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य पालकों को उनकी मांग अनुसार उचित दरों पर उच्च गुणवत्ता के मत्स्य बीज की आपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है।

''राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना ''

राज्य सेक्टर अन्तर्गत संचालित ''राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना'' के अन्तर्गत मत्स्य पालकों को उनकी मांगानुसार एवं योजना के मानकानुसार मत्स्य पालकों को आधे मूल्य पर गुणवत्तायुक्त पैलेटेड मत्स्य आहार की आपूर्ति की जाती रही है साथ ही मत्स्य पालन कार्य में प्रयुक्त होने वाले जाल, हापा तथा हैन्डनेट भी आधे मूल्य पर मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जाता है।

''अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0)''

जनपद के अनुसूचित जाति के काश्तकारों के आर्थिक उन्नयन हेतु राज्य सेक्टर अन्तर्गत ''अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0)'' संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत काश्तकारों को मैदानी तालाब निर्माण एवं निवेश हेतु योजना के मानकानुसार अनुदान धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत मत्स्य पालकों/काश्तकारों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं योजना के प्रचार – प्रसार हेतु गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है।

उक्त केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं–

रियरिंग यूनिट निर्माण–

फिंगरलिंग मत्स्य बीज तैयार किये जाने हेतु मत्स्य बीज रियरिंग यूनिट निर्माण एवं निवेश हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान की सुविधा।
मत्स्य बीज रियरिंग यूनिटों के निर्माण पर योजना के मानकानुसार अनुदान की सुविधा।
निर्मित रियरिंग यूनिटों में सम्बन्धित मत्स्य पालकों द्वारा मानकानुसार मत्स्य बीज (फ्राइ साइज) संचय कर मत्स्य अंगुलिकाएं तैयार करने के उपरान्त अन्य मत्स्य पालकों को उनकी मांगानुसार उपलब्ध कराया जाता है।

मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना–

10 मिलियन फाई क्षमता की 2.0 है0 क्षे0 की मत्स्य बीज हैचरी हेतु मानकानुसार बैंक ऋण एवं अनुदान की सुविधा।

रिटेल/मोबाइल फिश आउटलेट–

बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं नागरिको को ताजी मछली उपलब्ध कराने हेतु मोबाइल फिश पार्लर के लिए मानकानुसार अनुदान की सुविधा।

मोटर साईकिल विद आईस बाक्स–

तालाबों मे उत्पादित मछलियों को बाजार में पहुँचाने एवं बेचने हेतु मत्स्य पालको को मानकानुसार अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।

सोलर पावर सिस्टम

मत्स्य तालाबों मे ट्यूबवेल एवं प्रकाश इत्यादि व्यवस्था हेतु मानकानुसार अनुदान देय है।

फीड मिल की स्थापना–

मछलियों का चारा/आहार बनाने के लिए फीड मिल स्थापित करने पर मानकानुसार अनुदान देय है।

ग्राम समाज के तालाबों को मत्स्य पालन हेतु 29 वर्षीय पट्टे पर आवंटन–

ग्राम समाज के तालाबों को मछुआ समुदाय के पात्र व्यक्ति को मत्स्य पालन हेतु पट्टा आवंटन शिविर द्वारा 29 वर्षीय पट्टे पर आवंटन की सुविधा।

दुर्घटना बीमा योजना–

मत्स्य पालन से जुडें मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को संरक्षण दिये जाने हेतु दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की मृत्यु /पूर्ण स्थयी अपंगता की स्थिति में रू0 2.0 लाख तथा आंशिक स्थायी अपंगता के लिए 1.0 लाख तथा किसी दुर्घटना होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु रू0 10 हजार की बीमा राशि से आच्छादित किया जाता है। बीमा हेतु वार्षिक प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है।